

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-मेजा
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
मेजा रोड, प्रयागराज

मो० : 05334-278062

E- Mail: eddmejaald@gmail.com

CIN-31200UP2003SGC027461

पत्रांक सं०: 55

वि०वि०खं०मेजा प्रयाग०/

दिनांक: 04/07/2024


कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नलिखित आवेदक को उनके सम्मुख अंकित विद्या एवं भार के लिए संयोजन अनुमत्य करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है :-

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विद्या/भार	मोबाइल नं०	आवेदन सं० एवं प्रकल्प शुल्क धनराशिका विवरण (घालान नं०/कनेक्शन आईडी/धनराशि)	उपखण्ड का नाम
1.	Neha Singh	3 HP	9565116575	1008363861/P53871067/YIC42186370708/Rs. 100	EDSD KORAON
2.	Dharmavti Singh	3 HP	9369780039	1008363872/ P53871086/YIC42186392281/Rs.100	EDSD KORAON
3	Jagnath	3 HP	9022481328	1008364140/ P53871690/YIC42187319801/Rs 100	EDSD MANDA
4	RAJ KUMARI	3 HP	9793703590	1008364764/ P53873038/YIC42190050081/Rs 100	EDSD MEJA
5	JAI PRAKASH TRIPATHI	5 HP	9956255056	1008364819/ P53873143/YIC42190212497/Rs.100	EDSD KORAON
6	NIRMALA DEVI	2 HP	8869982054	1008364825/ P53873159/YIC42190266966/Rs.100	EDSD MANDA
7	SHYAM LAL MISHRA	3 HP	7860239208	1008364832/ P53873169/YIC42190341269/Rs.100	EDSD MEJA
8	RAM JEET	5 HP	9452060807	1008365020/ P53873604/YIC42191207366/Rs.100	EDSD KORAON
9	BINDRA LAL PATEL	8 HP	7071331362	1008365066/ P53873720/YIC42191323980/Rs.100	EDSD MEJA
10	GANGADHAR SINGH	3 HP	9519204292	1008365266/ P53874178/YIC42192267357/Rs.100	EDSD KORAON
11	PRAMOD	3 HP	7207148074	1008365279/ P53874220/YIC42192292102/Rs.100	EDSD KORAON
12	Chhote Lal	5 HP	8127979824	1008365299/ P53874245/YIC42192316961/Rs.100	EDSD KORAON
13	Mithai Lal	3 HP	7080825909	1008365575/ P53874931/YIC42193371143/Rs.100	EDSD KORAON

- यदि आवेदक स्वीकृत समय के अतिरिक्त विद्युत शक्ति का उपयोग करते पाया गया तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसका कनेक्शन काटा जा सकता है।
- विद्युत शक्ति की स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी।
(अ) निजी नलकूप पम्पिंग सेट नहरों से 100 मीटर की दूरी के अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
(ब) यदि आवेदक किसी अन्य कृषक को जिसकी भूमि राजकीय सिंचाई के साधनों के क्षेत्र के अन्दर आती है, यदि पानी देते हुये पाया जायेगा तो उसका कनेक्शन उसी समय बिना किसी सूचना के काट दिया जायेगा।
- यदि उक्त आवेदक का कनेक्शन उस जगह पर कभी समाप्त किया जा चुका हो तो उस जगह पर आवेदक को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कनेक्शन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक पुराने कनेक्शन पर विद्युत खपत की धनराशि जमा नहीं कर देते हैं।
- समय-समय पर उ०प्र० पावर करपोरेशन लि०/निगम द्वारा निर्गत सभी आदेश प्रभावी समझे जायेंगे।
- आवेदक यदि अपनी साइट का निरीक्षण नहीं करवाता है अथवा टी०सी० निर्गत होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर नियम एवं शर्तों के अनुसार धनराशि जमा कराकर अनुबन्ध नहीं करता है तो आगे की कार्यवाही स्वतः निरस्त हो सकेगी।
- आवेदक को कनेक्शन देने में विलम्ब की कार्यवाही पर क्षतिपूर्ति का दावा अमान्य होगा।
- आवेदक को आवेदन दिनांक 06 माह के अन्दर यदि कोई टी०सी० या नोटिस प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं अधोहस्ताक्षरी से लिखित रूप से प्रार्थना पत्र सहित मिले।
- विभाग/शासन द्वारा निजी नलकूप कनेक्शन देने के प्रतिबन्ध पर जारी सभी नियम समय-समय पर लागू रहेंगे।
- उपरोक्त की जमीन पर किसी विवाद के लिए विभाग के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपरोक्त स्वीकृत उपभोक्ता की स्वेच्छा पर है। कनेक्शन देने या न देने का पूर्ण अधिकारी निगम को सुरक्षित है।
- किसी भी विवादित स्थल पर कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
- आवेदक को संयोजन स्थल पर निरीक्षण स्वयं करवाना होगा।

13. उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार कि वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी और माननीय न्यायलय का आदेश सर्वोपरि होगा।
14. संयोजन/सामग्री का निर्गमन वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा निर्धारित लख्य के अनुरूप प्राथमिकता सूची एवं सामग्री की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।


(पी0के0सोनकर)
अधिशायी अभियन्ता


दिनांक: 04/01/ 2024

पत्रांक सं०: 55

वि०वि०खं०मेजा प्रयाग०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-सिरसा/कोरांव/उरुवा/माण्डा को सूचनार्थ एवं आवेदक का प्राक्कलन खण्डीय कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. खण्ड विकास अधिकारी, उरुवा/मेजा/माण्डा/कोरांव, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
4. आवेदनकर्ता को इस आसय से प्रेषित कि वह सम्बन्धित उपकेन्द्र के अवर अभियन्ता से सम्पर्क कर 1 माह के अन्दर साइट का निरीक्षण करवाये अन्यथा प्रार्थना पत्र आगे की कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।


(पी0के0सोनकर)
अधिशायी अभियन्ता